बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/नि०–151/2014 130 पटना, दिनांकः 03.04.18

कार्यालय आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–520(नि०को०)/रा० दिनांक–21.08.2014 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–233/आ०प्र० दिनांक–29.05.2014 द्वारा भेजे गये आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–64 सहपठित ज्ञापांक–383 दिनांक–27.03.2015 द्वारा मो० तैयब आलम शाहिदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अररिया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिलसा, नालंदा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। इसमें अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), अररिया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी विभागीय कार्यवाही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–169(नि०को०)/रा० दिनांक–16.02.2015 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–14/सी० दिनांक–03.01.2015 द्वारा मो० तैयब आलम शाहिदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अररिया–सह–प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध भेजे गये आरोप प्रपत्र के आलोक में आरोप गठित कर इसे पूरक आरोप पत्र के रूप में समाहित कर विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु निदेशालय के पत्रांक–711 दिनांक–11.06.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–266 सहपठित ज्ञापांक–1755 दिनांक–10.11.2015 द्वारा इसमें अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) के जगह स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आरोपी मो० तैयब आलम शाहिदी के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना मंतव्य एव निष्कर्ष निम्न प्रकार दिया गया है:–

i) वर्ष 2013 में बाढ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त वितरण हेतु आरोपी पदाधिकारी को कुल 4507 क्विंटल गेहूँ का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध कराये गये आवंटन के वितरण से संबंधित बाढ़ सहाय्य के अन्तिम प्रतिवेदन प्रपत्र IX में आरोपी पदाधिकारी द्वारा 3228 क्विंटल गेहूँ वितरण प्रतिवेदित किया गया, जबकि वास्तविक रूप से मात्र 788 क्विंटल गेहूँ वितरण हुआ है के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का यह कथन की दुरभाष पर राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव द्वारा बताये गये गेहूँ वितरण की स्थिति के आधार पर प्रपत्र IX में गेहूँ वितरण 3228 क्विटल गेहूँ वितरण दर्शाया गया है, सत्य से परे है। आरोपी पदाधिकारी को प्रपत्र IX में अंतिम प्रतिवेदन भेजने के पूर्व संबंधित राजस्व कर्मचारी/पंचायत सचिव से अभिश्रव एवं लिखित प्रतिवेदन प्राप्त कर ही अन्तिम प्रतिवेदन प्रपत्र IX में भेजा जाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। यह आरोप प्रमाणित पाया गया है।

ii.क) आरोपी पदाधिकारी, मो० तैयब आलम शाहिदी का यह कथन सत्य से परे है कि माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या 21/2012 में कृषि विभाग की भूमि का दावा नही बताया गया, जबकि उक्त वाद में कार्यपालक दंडाधिकारी, अररिया के न्यायालय वाद संख्या 46M/2002 का स्पष्ट रूप से उल्लेख है । कार्यपालक दंडाधिकारी, अरिरया के न्यायालय में दायर वाद संख्या 46M/2002 (श्री श्याम प्रसाद, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अररिया बनाम बीबी हसीना खातुन) में दिनांक 22.01.2004 को कार्यपालक दंडाधिकारी, अररिया द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह वाद सरकारी भूमि के संबंध में है तथा कृषि निदेशक, पूर्णियॉ के द्वारा उचित पैरवी नहीं किया गया है उचित पैरवी के आभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। यह आरोप प्रमाणित पाया गया है।

ii.ख) माननीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , अररिया में दायर भूदान वाद संख्या 02/2011–12 श्री जय प्रकाश गोयल बनाम मंत्री भूदान यज्ञ कमिटी में दिनांक 03.10.2012 को पारित आदेश में यह उल्लेख है कि प्रश्नगत भूमि यथा मौजा बसंतपुर, आर०एस० खाता सं० 2438, आर०एस० खेसरा नं० 9767, रकवा 1.50 एकड को भूदान हेतु सम्पुष्ट करने हेतु कार्यालय मंत्री के पत्रांक 17 दिनांक 27.04.2012 द्वारा दिये गये पत्र से संबंधित भूमि आज तक आवेदक (श्री जय प्रकाश गोयल) के खास दखल कब्जे में कोल्ड स्टोरेज के साथ है जो विवादित भूमि पर अवस्थित है तथा प्रश्नगत भूमि भूदान को दान स्वरूप दी भी नहीं गयी है किन्तु आवेदक के पिता ने स्वेच्छा से जो खाता 1095, खेसरा नं० 9764 रकवा 1.50 एकड़ की भूमि जो समतुल्य है, स्वेच्छा से दी गई है जिसे सम्पुष्ट कर दिया जाय, उस पर भूदान यज्ञ समिति का पूर्ण अधिकार रहेगा। वर्णित परिस्थिति में निम्न विवरण की भूमि को भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सम्पुष्ट करने की प्रक्रिया की जाय।

मौजा	आर०एस० खाता	आर०एस० खेसरा	रकवा
बसंतपुर	1095	9764	1.50 एकड

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने अपने न्यायालीय आदेश में उल्लेख किया है कि भूमि सुधार आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक ए०/बी०एच० /VIII-47/61-7450 एल०आर० दिनांक 25 जुलाई 1961 में उद्धृत है कि अगर दान पत्र सम्पुष्ट नहीं हुआ तो ऐसी भूमि अन्य भूमि की तरह समझा जायेगा जो भूदान यज्ञ कमिटी अधिनियम की परिधि से बाहर (परे) है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि के भी संबंध में परिलक्षित है वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि को असंपुष्ट करते हुए अंचल अधिकारी, अररिया को आवेदक के पक्ष में लगान रसीद निर्गत करने का निदेश दिया गया, जिसकी एक प्रति भूदान यज्ञ कमिटी को भी देने का निदेश दिया गया।

भूदान वाद संख्या– 02/2011–12 में दिनांक 03.10.2012 को परित आदेश में मौजा बसंतपुर, आर०एस० खाता संख्या– 1095, आर०एस० खेसरा संख्या– 9764, रकवा–2.70 एकड़ भूमि का कोई उल्लेख ही नहीं है। वर्णित परिस्थिति में आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कि माननीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा खाता नं०– 1095, खेसरा नं०– 9764, रकवा 2.70 एकड़ को सम्पुष्ट न कर जय प्रकाश गोयल, पिता –पुरूषोत्तम गोयल का रैयती बताया गया है, सत्य से परे है। उपलब्ध साक्ष्यो/कागजातों से यह बात प्रकाश में आया कि आर०एस०खाता नं०–1095, खेसरा– 9764 का कुल

रकवा 4.20 एकड़ है, जिसमें से 1.50 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ कमिटी को सम्पुष्ट करने का आदेश माननीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दी गई है। इस प्रकार अवशेष बचे 2.70 एकड़ भूमि में से अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार कुल 66 महादलित परिवारों के बीच 0.04 डिसमिल प्रति परिवार के दर से कुल 2.64 एकड़ वितरित किया गया है, तथा स्थल पर कॉलोनी भवन पूर्ण व अपूर्ण बना हुआ है। आरोपी पदाधिकारी ने भी स्वयं अपने कारण–पृच्छा में यह स्वीकार किया है कि 1.50 एकड के अंतर्गत डोम/मेहतर जाति का आंशिक /पूर्ण मकान बना हुआ है। इसके बावजूद आरोपी पदाधिकारी द्वारा भूदान वाद संख्या– 02/2011–12 में पारित आदेश को आधार बनाकर श्री अजय कुमार झा व श्री समरनाथ सिंह का नामान्तरण वाद संख्या–359/2013–14 एवं 367/13–14 द्वारा क्रमशः 1.35 एकड़ एवं 1.35 एकड़ कुल 2.70 एकड़ जमीन का नामान्तरण कर जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया। फलतः विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। यह आरोप प्रामाणित पाया गया है।

ii.ग) आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा बैठक में निदेश दिया गया था कि कोई भी भूमि विवाद प्रारंभिक स्तर ही में समाप्त कर दिया जाय ताकि वो उग्ररूप न ले सके। मौजा बसंतपुर, थाना नं०–206, खाता नं०–1774, खेसरा नं०–8721 की जमीन में खतियानी रकवा से अधिक रकवा का नामान्तरण होने एवं भूमि विवाद की समस्या का निपटारा हेतु स्वयं हल्का कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन स्थल पर नापी कराकर सभी पक्षों को सुनकर उचित आदेश संबंधित राजस्व कर्मचारी –सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार पारित किया गया है, तथ्य से परे है। यदि तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में भू–विवाद का मामला प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने का निदेश दिया गया था, तो उसके अनुपालन में अभिलेख सक्षम पदाधिकारी को भेजकर आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया और सक्षम पदाधिकारी न होते हुए भी विविध वाद संख्या –1/2013–14 खोलकर पूर्व से संधारित जमाबंदी को सुधारने का आदेश स्वयं पारित कर दिया फलतः वर्त्तमान दखलकारों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप प्रमाणित पाया गया है।

ii.घ) आरोपी पदाधिकारी अंचल अधिकारी अपने कार्य के अतिरिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में थे। ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 279 लोदीपुर एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 191 मदनपुर चादॅ भाग, वार्ड नं०– 02 के क्रमशः सहायिका एवं सेविका चयन से संबंधित प्राप्त आपत्ति आवेदन पत्र को बाल विकास परियोजना कार्यालय के प्रधान सहायक श्री सरोज कुमार भारती को जवाब बनाने के लिए दिया। उन दिनों चूँकि प्रत्येक कार्य दिवस में उनके द्वारा तीन से चार ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर आम सभा कराये जाने की स्थिति में व्यस्तता के कारण आपत्ति आवेदन पत्रों का उत्तर ससमय नहीं भेज पाया जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी द्वारा क्षमा याचना की मांग की गई है। केन्द्र संख्या– 279 लोदीपुर के आपत्ति आवेदन के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कथन है कि लगाये गये आरोप में चयनित आवेदिका का डिग्री गलत तरीके से प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है जिसका सही और गलत साबित करना उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। आवेदिका द्वार दी गयी डिग्री के आधार पर एवं अंगानबाडी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के आलोक में उसी पोषक क्षेत्र के उच्च डिग्रीधारी आवेदिका का चयन किया गया

है। ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 191 मदनपुर चॉद भाग वार्ड नं०–02 में सेविका चयन में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदिका बीबी साईस्ता का चयन नहीं करते हुए दूसरे स्थान प्राप्त आवेदिका का चयन के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कथन है कि उक्त केन्द्र पर पूर्व से चयनित सहायिका आवेदिका का सगी–गोतनी है। ऑगनबाड़ी चयन मार्गदर्शिका 2011 में निहित निदेश के आलोक में सेविका एवं सहायिका आपस में सगी गोतनी नहीं हो सकती है। वर्णित परिस्थिति में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदिका बीबी साईस्ता का चयन नहीं करते हुए दूसरे स्थान प्राप्त आवेदिका का चयन , चयन समिति के सदस्य एवं आम जनताओं के बीच की गई है। यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

ii.ड.) आरोपी पदाधिकारी के कारण पृच्छा एवं उस पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से विदित होता है कि आरोपी पदाधिकारी दिनांक 01.01.2014 नव वर्ष का दिन रहने पर भी वे दो घंटा के लिए कार्यालय गये परंतु अति ठ़ड एवं आम जनताओं की नगन्यता के कारण अपने निवास स्थान पर ही रहकर एवं मोबाईल का स्वीच ऑफ कर कार्यालय का कार्य निष्पादित किये। दिनांक 02.01.2014 को उनके द्वारा चार स्थानों पर आंगनबाडी केन्द्र से संबंधित सेविका/सहायिका चयन का आम सभा कराया गया है। दिनांक 03.01.2014 को डी०आर०डी०ए० सभा भवन में राजस्व की मासिक बैठक में भाग लिये । दिनांक 03.01.2014 को रात्रि में पत्नी की अचानक पेट में दर्द होने के कारण दिनांक 09.01.2014 तक कार्यालय कार्य को देखते हुए पत्नी को चिकित्सक से दिखाते रहे और चिकित्सक द्वारा पत्नी को गोल ब्लाडर में पथरी बताये जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक 37 दिनांक 10.01.2014 से 19.01.2014 तक आकस्मिक अवकाश उपभोग करने का पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को भेजा। चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश का पेस्क्यूशन की छायाप्रति संलग्न किया है। यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त प्रतिवेदन पर मो० तैयब आलाम शाहिदी से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में मो० शाहिदी ने यह उल्लेख किया है कि :–

(i) माननीय न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा नामान्तरण करने एवं लगान रसीद निर्गत करने के आदेश देने के बाद उनके द्वारा कार्रवाई की गयी।

(ii) मौजा–बसंतपुर में भूदान से संबंधित जमीन के नामान्तरण की कार्रवाई भी माननीय न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के आदेश एवं हल्का कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर किया गया।

(iii) मौजा–बसंतपुर का खाता सं०– 1774 खेसरा संख्या–8721 रकवा 8.5 डिसमिल जमीन का जमाबंदी सुधारने हेतु आदेश संधारित जमाबंदी के आधार पर ही किया गया है, न कि नये सिरे से जमाबंदी सुधारने का कोई आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि बाद में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक 1255 दिनांक 06.06.2014 से होती है।

(iv) जहॉतक बाढ़ 2013 में प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त गेहूँ वितरण के प्रतिवेदन में वास्तविक मात्रा से अधिक गेहूँ का वितरण का प्रतिवेदन देने का आरोप है वह गलत प्रतिवेदन उनके द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं पंचायत सचिवों द्वारा दूरभाष पर दिये गये गलत प्रतिवेदन के कारण ही गलत प्रतिवेदन दिया गया।

4. मो०तैयब आलम शाहिदी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिया गया था। अभ्यावेदन से इनका मनमाने ढ़ग से कार्य करना परिलक्षित होता है तथा दूरभाष पर सूचना प्राप्त कर गलत प्रतिवेदन समर्पित करना किसी पदाधिकारी के लिए अशोभनीय है। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो० शाहिदी के विरूद्ध संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो० तैयब आलम शाहिदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अररिया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिलसा प्रखंड, नालंदा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/नि०–151/2014 805 पटना, दिनांक :– 03.04.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, अररिया/नालंदा।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/नालंदा।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया/नालंदा।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिसला प्रखंड, नालंदा
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. मो० तैयब आलम शाहिदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अररिया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिलसा, नालंदा

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक